राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट सिलवाला खुर्द)

1. बलराजसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. शिवराजसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।

–वादीगण

बनाम

1.करनैलसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।

–प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्याः–260/2018
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
निर्णय दिनांकः– 18.6.2018

वादीगण की ओर से श्री संदीप कस्वां एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री रायसिंह भाखर एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 654 आरडी खाता संख्या 69/51 व 42/101 व खाता संख्या 70/50 तथा चक नं. 2 आरडब्ल्यू बी के खाता संख्या 37/37 में दर्ज भूमि वादीगण को निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः–

चक नं. 654 आरडी खाता संख्या 69/51 में दर्ज कुल 3.289 है. में से 1/6 हिस्सा,चक नं. 654 आरडी के खाता संख्या 42/101 में दर्ज 1.223 है. में से 1/2 हिस्सा, चक नं. 654 आरडी के खाता संख्या 70/50 में दर्ज 9.943 है. में से 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा तथा चक नं. 2 आरडब्ल्यू बी के खाता संख्या 37/37 में दर्ज 1.645 है. में से 1/2 हिस्सा के वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम चक नं. 654 आरडी खाता संख्या 69/51 व 42/101 व खाता संख्या 70/50 तथा चक नं. 2 आरडब्ल्यू बी के खाता संख्या 37/37 में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपर्युक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत सिलवाला खुर्द में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

(उम्मेद सिंह रतनू)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रर्दशों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	0	जोड़	0

Scanned by CamScanner